



7. सीआरसी, पटना में वीआईपी दौरा

क. 22.7.2019 को सीआरसी, पटना में माननीय मंत्री का दौरा: 22.12.2019 को माननीय कैबिनेट मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोट, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने सीआरसी, पटना का दौरा किया। उन्होंने छात्रावास भवन के चल रहे निर्माण कार्यों



की प्रगति का निरीक्षण किया और शुरुआती आधार पर काम पूरा करने के बारे में के.लो.नि.वि. के अभियंत्रिकों के साथ बैठक की।

ख. 08.02.2020 को संयुक्त सचिव का दौरा: सुश्री तारिका राँय ने सीआरसी, पटना में आगामी ईआईआई इकाई और प्रारंभिक विद्यालय के प्रगति कार्य की निगरानी के लिए सीआरसी, पटना का दौरा किया। इन्होंने सीआरसी के प्रस्तावित प्रारंभिक हस्तक्षेप इकाई के चिन्हित क्षेत्र का पर्यवेक्षण के साथ सीआरसी परिसर का निरीक्षण किया। इन्होंने सीआरसी, पटना के अभिगम्यता, हवादार कमरों और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की सराहना की। सुश्री तारिका राँय, संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सीआरसी, पटना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डॉ. अमीद इकवाल, प्रभारी-अधिकारी, सीआरसी, पटना और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की।



विहार राज्य में ईआईआई इकाई की संभावनाओं और जागरूकता से संबंधित उन्होंने कुछ मुझाव दिए। इन्होंने ईआईआई इकाई के भविष्य दृष्टि के बारे में भी चर्चा की।

ग. 19.09.2019 को अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार ने सीआरसी पटना का दौरा किया: श्री नवीन कुमार, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने श्री मोहित मलिक एएसओ के साथ 19.09.2019 और 20.09.2019 को सीआरसी पटना का दौरा किया, उन्होंने सीआरसी, पटना के छात्रावास भवन के चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने ओपीडी का दौरा किया, रोगियों और छात्रों के साथ बातचीत की एवं उसके बाद के.लो.नि.वि. के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सीआरसी, पटना में चल रहे विभिन्न आधिकारिक मुद्दों पर सीआरसी के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ भी मुलाकात की।



कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र - त्रिपुरा

1. प्रस्तावना:



दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए त्रिपुरा राज्य में दिव्यांगजन कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र, त्रिपुरा का राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान (रा.ग.दि.सं.) कोलकाता के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, दिव्यांगजन अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) के तहत पश्चिमी त्रिपुरा के नरसिंहगढ़ में नवम्बर 2017 में स्थापित किया गया। वर्तमान में केन्द्र जुवेनाइल होम, नरसिंहगढ़, अगरतला के परिसर में सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा आर्बिट्रि भवन में काम कर रहा है।

2. सी.आर.सी. – त्रिपुरा के उद्देश्य:

सीआरसी, त्रिपुरा, अपनी स्थापना के समय से ही दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विविध गतिविधियों के साथ जुड़ा रहा। तदनुसार सीआरसी, त्रिपुरा के मुख्य उद्देश्य की पहचान इस प्रकार है:-

- पुनर्वास और दिव्यांगजन व्यक्तियों के विशेष शिक्षा के संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- पुनर्वास पेशेवरों, ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं, बहु-पुनर्वास कार्यकर्ताओं और सरकार तथा गैर सरकार के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण के द्वारा मानव संसाधन का विकास करना ताकि वे दिव्यांगजनों को अपेक्षित सेवाएं दे सकें।
- माता-पिता और समुदाय में जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- सहायक अंग और उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और उसका निर्धारण करना।
- समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता संचार मनोरंजन और एकीकरण के अवसरों में वृद्धि के लिए अग्रणी शिक्षा और कौशल विकास की सेवाएं शुरू करना।



- क्षेत्र की दिव्यांगता की तीव्रता और प्रकार तथा आवश्यकता का ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों हेतु अनुसंधान और विकास पर कार्य करना।
- पुनर्वास सेवाओं के वितरण के लिए क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए रणनीति विकसित करना।
- स्वैच्छिक संगठन, माता-पिता समूहों और स्व-सहायता समूहों का समर्थन करके सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
- उपलब्ध मेडिकल, शैक्षणिक एवं रोजगार सेवाएं, समुदाय आधारित पुनर्वास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारण

समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजन के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना और भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में दिव्यांगजन की स्थिति के बारे में जागरूकता का सृजन करना।

4. सीआरसी एसआरई त्रिपुरा का लक्ष्य

सीआरसी एसआरई त्रिपुरा का मिशन निरंतर पेशेवर प्रयासों के माध्यम से दिव्यांगजनों को यथा व्यावसायिक चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, कार्यानिवृत्ति एवं सामाजिक खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पूर्ण भागीदारी एवं उन्हें पुनर्वास एवं चिकित्सीय हस्तक्षेप के माध्यम से सशक्त करना है।

5. वर्तमान गतिविधियाँ

सीआरसी एसआरई त्रिपुरा की गतिविधियों में बड़े पैमाने पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

- i. पुनर्वास सेवाएं
- ii. मानव संसाधन विकास
- iii. पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना का प्रसार
- iv. जागरूकता का सृजन
- v. अन्य गतिविधियाँ

उपरोक्त गतिविधियाँ विभिन्न इकाइयों द्वारा की जाती हैं:


- भौतिक चिकित्सा
- व्यावसायिक चिकित्सा
- कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग
- ट्रियरिंग एंड स्पीच पैथोलॉजी
- विशेष शिक्षा
- सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास
- पुस्तकालय, सूचना और प्रलेखन



1. वर्ष 2019-20 को पुनर्वास कार्यकलापो का विवरण

नये रोगी	अनुवर्ती रोगी	सहायक सेवाएं
935	3988	8899

नये रोगी का पंजीकरण और प्रदान की गई सेवाओं का विवरण चार्ट में दर्शाया गया है।





• नवीन ग्राहकों का माहवार जनसांख्यिकीय डेटा, अनुवर्ती और सहायक सेवाएं

क्र.सं.	महीना एवं वर्ष	नये रोगी	अनुवर्ती	सहायक सेवाएं
1	अप्रैल, 2019	68	392	819
2	मई, 2019	92	371	805
3	जून, 2019	80	191	490
4	जुलाई, 2019	84	367	823
5	अगस्त, 2019	57	321	628
6	सितम्बर, 2019	101	411	976
7	अक्टूबर, 2019	66	316	840
8	नवम्बर, 2019	71	286	677
9	दिसम्बर, 2019	96	285	689
10	जनवरी, 2020	90	355	782
11	फरवरी, 2020	72	451	930
12	मार्च, 2020	58	242	440
	कुल	935	3988	8899

2019-2020 के दौरान प्रदान की गई अनुवर्ती और सहायक सेवाओं का विवरण चार्ट में दर्शाया गया है -



पंजीकरण का दर्शाया गया चार्ट






• वर्ष 2019-20 में पंजीकृत नए दिव्यांगजनों के डेमोग्रफिक डाटा:

वर्ष 2019-20 कुल 935 नए मामलों को पंजीकृत किया गया एवं इसके लिंग तथा जाति के अनुसार डेमोग्रफिक डाटा निम्न है:-

जाति	पुरुष	महिला	कुल
अ.जा.	156	63	219
अ.ज.जा.	40	32	72
अ.पि.व.	162	119	281
सामान्य	228	135	363
कुल	586	349	935

2019-20 के दौरान दर्ज किए गए रोगियों के लिंग और जाति का विवरण का चार्ट






* 2019 - 2020 में एडिप योजना के अधीन केन्द्र की बाह्य सेवाओं द्वारा सहायक उपकरणों का वितरण

सहायक उपकरणों के वितरण का विवरण

व्हील चेयर	वैशाखी/वाँकर	तिपहिया वाहन	श्रवण उपकरण	ब्लाइंड स्टिक एण्ड स्मार्ट केन	कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग	बहु संवेदी किट	कुल
24 सं.	8 सं.	8 सं.	80 सं.	26 सं.	29 सं.	6 सं.	181 सं.

वर्ष 2019-20 के दौरान एडिप योजना के अधीन वितरित सहायक उपकरणों के वितरण का चार्ट






सहायक उपकरणों के वितरण का दिव्यांगतागत विवरण

गतिशील दिव्यांगता	दृष्टि बाधितार्थ	श्रवण दिव्यांगता	बौद्धिक दिव्यांगता
53 सं.	26 सं.	44 सं.	06 सं.


सहायक उपकरणों के वितरण का दिव्यांगतागत विवरण का चार्ट



सहायक उपकरणों के वितरण का जातिगत विवरण

अ.ज.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	कुल
32 सं.	12 सं.	32 सं.	53 सं.	129 सं.


सहायक उपकरणों के वितरण का जातिगत विवरणों का चार्ट






महायक उपकरणों का लिंगवार विवरण

महिला	पुरुष	कुल लाभार्थियों की संख्या
41	88	129



वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्र में राजस्व के मूल पर तैयार वित्तीय उपादानों का विवरण

पंजीकरण शुल्क (रु.)	व्या.चि. (रु.)	भौ.चि. ईएम्सईआर (रु.)	भौ.चि.ईएलईसीटी (रु.)	स्पीच (रु.)	एसपीएल आईडी (रु.)	एसपीएल वीआई (रु.)	कृ.अं.एवं प्र. (रु.)	सीआरई कार्यक्रम (रु.)	कुल (रु.)
13540.00	14860.00	12450.00	7910.00	12840.00	9850.00	230.00	38798.00	24000.00	134478.00





• केन्द्र द्वारा की गई गतिविधियों का सारांश

कार्यक्रम की प्रकृति	2019-20	
	कार्यक्रम की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
बाह्य गतिविधियाँ :-		
आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, समुदाय क लोगो, पीआरआईएस आदि के लिए जागरुकता सह संवेदनशीलता कार्यक्रम	11	1750
एडिप योजना के तहत पहचान सह स्क्रीनिंग शिविर	4	499
एडिप योजना के तहत वितरण शिविर	-	-
केन्द्र की गतिविधियाँ :-		
अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	6	157
पेशवर प्रशिक्षण कार्यक्रम	2	48
वार्षिक दिवस और आईडीपीडी कार्यक्रम	2	600
कुल	24	3,034

II. इस वर्ष किए गए सुदूरवर्ती गतिविधियों का विवरण

* 2019-20 में सीआरसी एसआरई-त्रिपुरा द्वारा आयोजित एक दिवसीय सुग्राह्य-सह-जागरुकता कार्यक्रम:- वर्ष 2019-20 में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के साथ कई सुग्राह्य सह-जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1. मई, 2019 :-

- (i) "दिव्यांगता , पुनर्वास और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर पुनर्वास कार्यक्रम" विषय पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम सीआरसी एसआरई द्वारा 28 मई, 2019 को त्रिपुरा जिले के आर.डी.ब्लॉक के सिपाहीजला के कथलिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक संख्या के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 102 लोगों ने भाग लिया।
- (ii) सीआरसी एसआरई त्रिपुरा द्वारा 31 मई 2019 को "दिव्यांगता पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 विषय" पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम मंडई, जिरानिया के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 101 लोगों ने भाग लिया।

2. जून, 2019 :-

- (i) सीआरसी एसआरई त्रिपुरा द्वारा 26 जून 2019 को दिव्यांगता पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016 विषय पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम पनिसागर, उत्तर जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 105 लोगों ने भाग लिया।



(ii) सीआरसी एमईआर त्रिपुरा द्वारा 27 जून, 2019 को "दिव्यांगता , पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम " कुमारघाट, उनाकोटि जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 100 लोगों ने भाग लिया।

3. नवम्बर, 2019 :-

(i)) सीआरसी एमईआर त्रिपुरा द्वारा 15 नवम्बर, 2019 को "दिव्यांगता , पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम " मातावारी, गोमती जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरआईएम और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 93 लोगों ने भाग लिया।

(ii) सीआरसी एमईआर त्रिपुरा द्वारा 18 नवम्बर, 2019 को "दिव्यांगता, पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम "दमदुरनगर, धलाई जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरआईएम और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 187 लोगों ने भाग लिया।

(iii) सीआरसी एमईआर त्रिपुरा द्वारा 19 नवम्बर, 2019 को "दिव्यांगता, पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम "रायश्यावाड़ी, धलाई जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरआईएम और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 200 लोगों ने भाग लिया।

(iv) सीआरसी एमईआर त्रिपुरा द्वारा 20 नवम्बर, 2019 को "दिव्यांगता, पुनर्वास एवं आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम "मनु, धलाई जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरआईएम और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 228 लोगों ने भाग लिया।

4. दिसम्बर, 2019 :-

(i) स्क्रीनिंग कैंप के अलावा एनआईएचएल और शोर के प्रभाव के बारे में एसपी, ट्रैफिक, अगरतला की उपस्थिति में 8 दिसंबर, 2019 को एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में संबंधित विभाग के कुल 39 लोगों ने भाग लिया।



5. जनवरी, 2020 :-

(i) "दिव्यांगता , पुनर्वास और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 पर पुनर्वास" विषय पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम सीआरसी एसईआर द्वारा 6 जनवरी, 2020 को पीत्तरवल, उत्तर जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरआईएस और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 297 लोगों ने भाग लिया।

(ii) "दिव्यांगता , पुनर्वास और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016" विषय पर एक दिवसीय सुग्राह्य कार्यक्रम सीआरसी एसईआर द्वारा 7 जनवरी, 2020 को जम्पुई, उत्तर जिला त्रिपुरा के आर.डी.ब्लॉक के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पीआरआईएस और सामुदायिक सदस्यों के लिए सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कुल 298 लोगों ने भाग लिया।

इस वर्ष कुल 11 एकदिवसीय सुग्राह्य-सह-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन कार्यक्रमों में कुल 1,750 लाभार्थियों ने भाग लिया।





*** 2019-20 में त्रिपुरा के सीआरसी एसआरसी द्वारा संचालित एडिप योजना के अधीन पहचान सह मूल्यांकन शिविर :-**

वर्ष 2019-20 में सीआरसी एसआरसी, त्रिपुरा द्वारा एडिप योजना के अधीन कई पहचान सह मूल्यांकन शिविर आयोजित किए गए हैं। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

1. जून, 2019 :- एडिप योजना के अधीन सहायक उपकरणों की आवश्यकताओं पर एक दिवसीय पहचान शिविर 28 जून, 2019 को त्रिपुरा के उत्तरी जिले के पचरथल आरडी ब्लॉक में आयोजित किया गया था। इस शिविर में 300 लोगों ने भाग लिया।
2. सितम्बर, 2019 :- 9 सितंबर, 2019 को त्रिपुरा के दक्षिण जिले के रूपाचारी आरडी ब्लॉक में एक दिवसीय पहचान सह मूल्यांकन शिविर का आयोजन सरकार के स्थानीय प्रशासन की मदद से किया गया था। शिविर में कुल 67 रोगियों को पंजीकृत किया गया और कुल 39 रोगियों की दिव्यांगता की पहचान की गई।
3. नवम्बर, 2019 :- 29 नवंबर, 2019 को त्रिपुरा के पश्चिम जिले के वामुतिया में सहायक उपकरणों की आवश्यकता के लिए एक दिवसीय पहचान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 93 लोगों ने भाग लिया।
4. दिसम्बर, 2019 :- ट्रेफिक पुलिस कर्मियों के लिए एसपी ट्रेफिक कार्यालय परिसर में 8 दिसंबर, 2019 को एक दिवसीय सुनवाई स्क्रीनिंग-सह-जागरूकता शिविर आयोजित किया गया था। ऑडीओमेट्रिक टेस्ट के माध्यम से कुल 39 ट्रेफिक पुलिस की जांच की गई।

इस वर्ष एडिप योजना के अधीन कुल 4 पहचान सह मूल्यांकन शिविर आयोजित किए गए और इन शिविरों में कुल 499 लाभार्थियों ने भाग लिया।





III. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

* अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	समन्वयक का नाम और पदनाम	प्रतिभागियों की सं.
1.	29.07.2019 को "विकासारम्भक दिव्यांगजन बच्चों के लिए स्कूल तत्परता : अभिभावक की भागीदारी"विषय पर एक " कार्यक्रम आयोजित किया गया था।	श्रीमती पिकू कुंडू, सहायक आचार्य(विशेष शिक्षा) , सीआरसी एसआरई त्रिपुरा -	22
2.	31.07.2019,को "अभिभावक और शिक्षकों के हस्तक्षेप प्रक्रिया में समान भागीदारी" विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।	श्री तन्मय दास विशेष शिक्षक (विजुअल इम्पाइरमेंट), सीआरसी एसआरई त्रिपुरा -	26
3.	25.10.2019 को "ऑटिज्म और एडीएचडी के साथ बच्चों का प्रबंधन" विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।	श्री शशांक शेखर मोहंती, सहायक आचार्य(स्पीच पैथोलॉजी) , सीआरसी एसआरई त्रिपुरा -	25
4.	11.11.2019 को, "कॉज एंड प्रिजेंशन ऑफ जो बैक पेन एंड इट्स मैनेजमेंट" विषय पर एक कार्यक्रम।	श्री अतनु दत्ता, प्राध्यापक (भौतिक चिकित्सा) , सीआरसी एसआरई - त्रिपुरा	28
5.	27.11.2019 को "संवेदी विकार ग्रस्त बच्चों के लिए गृह प्रबंधन रणनीतियाँ" के विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया एक गया था।	श्री राजीव कुमार घोष, प्राध्यापक (व्यावसायिक चिकित्सा), सीआरसी एसआरई - त्रिपुरा	23
6.	"बच्चों के विकास में चिलंब तथा बच्चों का बचपन और विशेष शिक्षा-अभिभावकों की भागीदारी" विषय पर दिनांक 28.02.2020 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।	श्रीमती पिकू कुंडू, सहायक आचार्य(विशेष शिक्षा) , सीआरसी एसआरई त्रिपुरा	33
कुल			157





* पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम: -

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	समन्वयक का नाम और पदनाम	प्रतिभागियों की सं.
1	30.09.2019 को "प्रोस्पेक्टिव एंड ऑर्थोटिक साइंस से संबंधित एडवांस टेक्नोलॉजी एंड रिहैबिलिटेशन" विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।	श्री गोपेश माहा, कृत्रिम अंग एवं प्रत्यंग	28
2.	19.08.2019 से 23.08.2019 तक "कार्यात्मक शिक्षा" विषय पर सीआरई कार्यक्रम आयोजित किया गया था।	श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, सीआरसी एमआरई, त्रिपुरा	20
कुल			48





IV. वर्ष के दौरान सीआरसी एसआरई-त्रिपुरा द्वारा उत्सव/अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों का पालन:-

* सीआरसी एसआरई-त्रिपुरा के वार्षिक दिवस कार्यक्रम का पालन

8 जून 2019 को सीआरसी एसआरई त्रिपुरा ने किशोर गृह परिसर, नरसिंहगढ़ में अपना पहला वार्षिक दिवस समारोह मनाया। त्रिपुरा सरकार की समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती संताना चक्रमा उपस्थित थी। इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्ति श्री कृष्णधन दास, माननीय विधायक, त्रिपुरा विधान सभा के ब्रामुनिया संविधान, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग, त्रिपुरा सरकार, नोडल अधिकारी, सीआरसी एसआरई त्रिपुरा और निदेशक - सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा उपस्थित थे। कार्यक्रम में लगभग 400 लोगों ने भाग लिया। त्रिपुरा सरकार के एसडब्ल्यू एवं एमई, की माननीया मंत्री तथा त्रिपुरा के ब्रामुनिया विधान सभा के माननीय विधायक ने लाभार्थियों के बीच एडिप योजना के तहत सहायक उपकरणों का वितरण सफलतापूर्वक किया गया।



* अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

पूरे देश के साथ सीआरसी एसआरई त्रिपुरा ने भी 21 जून 2019 को "क्लाइमेट एक्शन" विषय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में कर्मचारी सदस्यों, सीडब्ल्यूएसएन के साथसाथ उनके अभिभावकों ने भाग लिया।





• स्वतंत्रता दिवस का पालन

सीआरसी एसआरई में 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। संस्थान के कर्मचारी, दिव्यांगजनों एवं उनके अभिभावकों की उपस्थिति में त्रिपुरा सरकार के उपायुक्त श्री अचिंतम किलिकदार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।



• विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उत्सव

सीआरसी एसआरई त्रिपुरा में दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को मानसिक स्वास्थ्य का वर्धन एवं आत्महत्या को रोकथाम विषय पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम दिव्यांगजन और उनके अभिभावक तथा सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा के कर्मचारी सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।



• अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का पालन

सीआरसी एसआरई त्रिपुरा द्वारा 3 दिसंबर, 2019 को "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" का सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। त्रिपुरा विधान सभा के वामुतिया संविधान सभा के माननीय विधायक, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अलावा, अध्यक्ष, त्रिपुरा महिला आयोग, सहायक निदेशक, दिव्यांगों हेतु राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्र के सहायक आचार्य, एजीएमसी, नोडल अधिकारी, सीआरसी एसआरई-



त्रिपुरा, के निदेशक के साथ-साथ केन्द्र के अन्य कर्मचारी सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सीडब्ल्यूएसएन, दिव्यांगजन उनके अभिभावक तथा भाई-बहन सहित लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। त्रिपुरा के वामुतिया विधानसभा के माननीय विधायक ने लाभार्थियों के बीच एडिप योजना के तहत सहायक उपकरणों का वितरण किया। सीडब्ल्यूएसएन एवं दिव्यांगजन ने अपने अभिभावकों के साथ विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों में भाग लिया जैसे टोकरी में गेंदों को फेंकना, बैठो और चित्र बनाओ आदि, कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए गए।



- गणतंत्र दिवस का पालन

26 जनवरी, 2020 को सीआरसी एसआरई-त्रिपुरा में गणतंत्र दिवस मनाया गया। श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक ने सीआरसीएसआरई त्रिपुरा के कर्मचारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उसके उपरांत, राष्ट्रगान हुआ और देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने के लिए देशभक्ति के नारे लगाए गए।





v. वर्ष (2019 - 20) के दौरान सीआरसी एसआरई त्रिपुरा की अन्य गतिविधियों का निष्पादन

1. 1 मई, 2019 से रा.ग.दि.सं., कोलकाता के आदेशानुसार सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा में सेवाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों से पंजीकरण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए शुल्क लिया जा रहा है।
2. 9 जून, 2019 को बीओटी, बीपीटी और बीपीओ के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय सीईटी परीक्षा सीआरसी एसआरई - त्रिपुरा द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।
3. जुलाई, 2019 में सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा के परिसर में स्वच्छता पखवाड़ा सफलतापूर्वक मनाया गया। आयोजन में केंद्र के प्रत्येक कर्मचारी ने भाग लिया। विभिन्न गतिविधियों जैसे श्रमदान, धौगन लेखन प्रतियोगिता, आदि का आयोजन किया गया।
4. 31 अगस्त, 2019 को निदेशक, सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा के साथ केंद्र के अन्य कर्मचारी सदस्यों ने विधिक अभिभावक पर एक कार्यशाला-सह-जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया, जो जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, सरकार द्वारा त्रिपुरा में स्थानीय स्तर की समितियों और सीआरसी एसआरई - त्रिपुरा के सहयोग से संचालित किया गया था।
5. पहली बार 23 से 24 सितंबर, 2019 तक रा.ग.दि.सं.-कोलकाता के एक प्रतिनिधि के साथ कैग ऑडिट टीम ने सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा का दौरा किया, जहां ऑडिट से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया गया।
6. 27 नवंबर, 2019 को विशेष अधिकारी (बी.आई.), सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा के साथ नोडल अधिकारी, सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा ने असम के होदाकांडी में बोडबिच द्वारा स्थापित "वो विजन सेंटर" का दौरा किया।
7. 21 जनवरी, 2020 को निदेशक, सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा ने प्रस्तावित डीएड एसई (एमआर) कार्यक्रम संचालित करने के लिए एक विशेष स्कूल 'विद्या बेलफेयर सोसायटी' के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
8. 23 जनवरी, 2020 को सीआरसी एसआरई - त्रिपुरा ने कार्यालय परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई।
9. 29 जनवरी, 2020 सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा ने वसंत पंचमी कार्यालय परिसर में मनाया।
10. 12 से 13 फरवरी, 2020 तक आरबीएमके, त्रिपुरा द्वारा आयोजित ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा के सहायक आचार्य (स्पीच पैथोलॉजी), प्राध्यापक (व्यावसायिक चिकित्सा) और पुनर्वास अधिकारी ने भाग लिया।



VI. वर्ष के दौरान आयोजित कार्यकारी परिषद की बैठक

निदेशक, सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा ने निम्नलिखित कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लिया। जो इस प्रकार हैं: -

1. कार्यकारी परिषद की बैठक (01) :- 18 जून, 2019 को दिव्यांगजन मशक्तिकरण विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
2. कार्यकारी परिषद की बैठक (02) :- 22 अगस्त, 2019 को रा.ग.दि.सं., कोलकाता में आयोजित किया गया।
3. कार्यकारी परिषद की बैठक (03) :- 8 जनवरी, 2020 को दिव्यांगजन मशक्तिकरण विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

फोटो गैलरी



सीआरसी एसआरई, त्रिपुरा का प्रथम वार्षिक दिवस समारोह



निदेशक, रा.ग.दि.सं. कोलकाता ने सीआरसी एसआरई-त्रिपुरा का दृश्य किया



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी.रोड, बन-हुगली, कोलकाता - 700090

वार्षिक लेखा
2019-20



भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
महा निदेशक, लेखा-परीक्षा का कार्यालय,
केन्द्रीय, कोलकाता

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
CENTRAL, KOLKATA

CONFIDENTIAL

No: OA II (AB) / AR/2019-20/NILD/183

Date: 20.01.2021

राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान के वित्तीय वर्ष 2019-20 का अनुलग्नक सहित पृथक लेखा रिपोर्ट की एक प्रति निदेशक राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता-700090 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृपया अनुलग्नक सहित पृथक लेखा परीक्षा के हिन्दी संस्करण को तैयार कर सीधे मंत्रालय को प्रेषित करने हेतु अपने स्तर पर व्यवस्था किया जाये।

संसद के सम्मुख प्रस्तुतीकरण हेतु तथा सरकार को प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि अनुलग्नक सहित लेखे का लेखा परीक्षित एवं पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शीर्ष निकाय के समक्ष विवेचन एवं अभिग्रहण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 की दो मुद्रित वार्षिक रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करणों) जिसमें लेखा की लेखा परीक्षा तथा पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं अनुलग्नक समाविष्ट हो संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक: यथोक्त

ह/-
उप निदेशक (निरीक्षण)

त्रि.आई.प्रेस बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राय रोड (1म मंजिल), कोलकाता-700001
Govt. of India Press Building, 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001
Phone:2254-0221, (Gram: ACCOUNTCENT) Post Box: 2699, Fax No.: 033-22135377



SPEED POST

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
CENTRAL, KOLKATA**

CONFIDENTIAL

No: OA II (AB) / AR/2019-20/NILD/182

Date: 20.01.2021

सेवा
सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
5वीं मंजिल, ब्लॉक-बी I, II एवं III, पर्यावरण भवन,
सी.डी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली - 110003

विषय : राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता का वित्त वर्ष 2019-20 का पृथक लेखा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं भारत का नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी किये गए विहित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 2019-20 की राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता का पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट भेज रहा हूँ। संस्थान की वित्तीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक लेखा की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न है।
2. संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व पृथक लेखा परीक्षा की दो प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) इस कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु अर्पित करें।
3. संसद के दोनों सदन के पटलों में प्रस्तुत की जाने वाली संस्थान की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा का लेखा-परीक्षा तथा पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के दिनांक से इस कार्यालय को अवगत कराये।

भवदीय

Angus Menon

ह/-

(दीपक नारायण)

प्रधान लेखा निदेशक

केन्द्रीय: कोलकाता

संलग्नक: यथोक्त

जि.आई.प्रेस बिल्डिंग, 8 किरण शंकर राय रोड (1म मंजिल), कोलकाता-700001

Govt. of India Press Building, 8, Kiran Sankar Roy Road, Kolkata-700001

Phone:2254-0221, (Gram: ACCOUNTCENT) Post Box: 2699, Fax No.: 033-22135377



**वित्त वर्ष 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता के लेखा पर
भारत सरकार के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की पृथक लेखा रिपोर्ट**

हमने नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शतों) की वर्ष 1971 की धारा 20(1) के अधीन राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता की 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की संलग्न तुलनपत्र तथा उपरोक्त दिनांक को समाप्त वर्ष की आय तथा व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा भुगतान का लेखा-परीक्षा किया है, यह लेखा-परीक्षा वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि तक सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों में तीन क्षेत्रीय केन्द्रों यथा आइजोल, देहरादून, पटना का लेखा भी शामिल है। यह वित्तीय विवरण संस्थान की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर केवल एक राय अभिव्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा-परीक्षा में केवल लेखा से संबंधित कार्यों के प्रतिपादन पर नियंत्रक महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों का समावेश है जो सर्वोत्तम लेखा कार्य-प्रणाली पर आधारित लेखा के प्रतिमानों एवं नियमों के प्रकटीकरण इत्यादि के साथ उसके क्रम विन्यास एवं सादृश्यता को दर्शाती है। वित्तीय अंतरणों पर लेखा परीक्षा के टिप्पणियों, नियमों, विधियों, नियमनों (श्रीचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता सह कार्य निष्पादन के पहलुओं के अनुपालनार्थ यदि कोई है तो उसे निरिक्षण रिपोर्ट / महा लेखा-परीक्षक के लेखा परीक्षा के रिपोर्ट के माध्यम से सूचित किया गया है।

3. भारत में सामान्यतया जो लेखा परीक्षा मान्य है हमने उसी के अनुसार अपना लेखा परीक्षा तैयार किया है। यह मानक यह अपेक्षा रखता है कि हमें लेखा परीक्षा की योजना एवं कार्य के निष्पादनार्थ ऐसे वित्तीय विवरण सुलभ किये जाए जो सामग्रियों के गलत बयानों से यथोचित मुक्त हो। लेखा परीक्षा, जांच के आधार पर यह परीक्षण करना है कि प्रस्तुत किये गये राशियों का सुस्पष्ट समर्थन हो तथा उसे वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया हो। इस लेखा परीक्षा में लेखांकन सिद्धांतों का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त किये गये महत्वपूर्ण आकलनों के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना सन्निहित है। हमें विश्वास है कि हमारा यह लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रस्तुत करता है।



4. हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित हम यह प्रतिपादित करते हैं -

- क. हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमने आवश्यक सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।
 - ख. तुलनपत्र, तथा आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा जो इस रिपोर्ट से संबंधित हैं उसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए विहित प्रारूप में तैयार किया गया है।
 - ग. हमारे मतानुसार बहियों के परीक्षण के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगज नसंस्थान द्वारा लेखा बहियों एवं अन्य संगत अभिलेखों का सही अनुरक्षण पश्चिम बंगाल समिति पंजीकरण अधिनियम XXVI, 1961 के अनुसार किया गया है।
- घ. हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि -

लेखा पर टिप्पणी

क. तुलन पत्र

1.1 देनदारियाँ

1.1.1 पूँजी निधि (अनुसूची-1) रु. 14.98 करोड़

उपरोक्त शीर्षक में रु. 2.31 करोड़ का अतिविवरण हो गया है इसी के साथ चालू देयता एवं प्रावधानों (सूची-7) का अधोविवरण उसी राशि से हो गया है जो निम्नलिखित है -

- क. चालू देयता तथा प्रावधानों (सूची-7) के अधीन इसे प्रदर्शन के बजाय के.लो.नि.वि. को रु. 1.31 करोड़ की देय राशि को पूँजीगत निधि में समावेशन करना।
- ख. मंत्रालय से अनुदान राशि प्राप्त न होने के कारण चालू देयता तथा प्रावधान (सूची-7) में दर्शाने के बजाये एक करोड़ राशि की पूँजीगत निधि को छात्रों से शुल्क संग्रहण के शीर्षक से सामान्य निधि में अंतरण कर दिया गया है।



1.1.2. निर्दिष्ट निधि (सूची-3) रु. 4.84 करोड़

निर्दिष्ट निधि में विशिष्ट प्रयोजनार्थ प्राप्त निधियों का सरकार की गैर मान्यता के कारणवश उपरोक्त शीर्षक में रु. 46.87 लाख का चालू परिसम्पत्तियों में उसी राशि के साथ अधोविवरण हो गया है जो इस प्रकार है -

(i) सरकार द्वारा स्वीकृत 75% राशि की प्रथम किस्त रु. 22.50 लाख (पटना में दिव्यकला शक्ति के आयोजनार्थ) को निर्दिष्ट निधि में दर्शाया नहीं गया है परंतु संस्थान ने उसे अपने आय के रूप में दर्शाया है और उसका राजस्व के रूप में व्यय किया गया इसके फलस्वरूप परिसम्पत्तियों एवं देयता दोनों में ही रु. 22.50 लाख राशि का अधोविवरण हो गया है।

(ii) विशिष्ट निहितार्थ संस्थान को भारत सरकार से स्वच्छता कार्रवाई योजना के अधीन रु. 40.32 लाख की राशि प्राप्त हुई (रा.ग.दि.सं. में 09 शौचालयों के नवीनीकरण हेतु) इस राशि को विशिष्ट निधि के अधीन दर्शाया नहीं गया है इसकी बजाये संस्थान ने केवल रु. 15.95 लाख की राशि को कार्य प्रगति पर है नामक शीर्षक के अधीन दर्शाया है जबकि अवशिष्ट राशि (रु. 24.37 लाख) का राजस्व के रूप में व्यय कर दिया गया है, इसके फलस्वरूप परिसम्पत्तियों एवं देयताओं दोनों में ही रु. 24.37 लाख राशि का अधोविवरण हो गया है।

ख. सा.भ.नि. एवं अं.भ.नि.

2. प्राप्ति तथा अदायगी लेखा -

2.1. प्राप्ति तथा अदायगी लेखों के प्राप्ति के भाग में रु. 53.61 लाख की राशि को कर्मियों का अंशदान दिखाया गया है निवल अदायगी के उपरांत इस राशि का आगमन सेवा-निवृत्त कर्मियों द्वारा रु. 52.83 लाख राशि के आहरण के फलस्वरूप हुआ है, जिसके कारण सा.भ.नि. के प्राप्ति तथा भुगतान के भाग में रु. 52.83 लाख की राशि का अधोविवरण हो गया है।



ग. अन्य लेखा-सीआरसी-पटना -

3.1 देनदारी

3.1.1 मूलधन निधि (सूची-1) रु. 7.38 करोड़

क. रु. 14.47 करोड़ की राशि को परिसम्पत्ति की अनुवृद्धि के रूप में दर्शाया गया है परंतु उसे मूल निधि में अंतरण नहीं किया गया है इसके फलस्वरूप मूल निधि का अधोविवरण हो गया है एवं उसी राशि से अनुरक्षण तथा अधिशेष का अतिविवरण हो गया है।

3.2 परिसम्पत्तियाँ -

3.2.1 स्थायी परिसम्पत्ति (सूची-8) रु. 13.21 करोड़

व्यय विवरण के अनुसार सीआरसी पटना के अलग प्रशासनिक भवन के निर्माण में रु. 14.63 करोड़ का व्यय तथा मूलधन कार्य प्रगति से स्थायी परिसम्पत्ति में रु. 14.33 करोड़ का अंतरण, इन दोनों में अंतर के कारण उपरोक्त शीर्ष के अधीन मूलधन राशि रु. 0.30 करोड़ का अधोविवरण है। अतः पूँजीगत निधि का उसी राशि से अधोविवरण हो गया है।

3.2.2 मूलधन कार्य प्रगति पर है (सूची-9) रु. 7.32 करोड़

कार्य प्रगति पर है नामक शीर्ष में रु. 7.32 करोड़ को दर्शाया गया है जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के व्यय के विवरणानुसार केवल रु.6.86 करोड़ की परिसम्पत्ति का मूल्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को अंतरण किया जायेगा। इस संदर्भ में रु. 0.46 करोड़ की विसंगती में सुधार करने की आवश्यकता है।

घ. सामान्य

4.1 विभिन्न योजनाओं जैसे नई पेंशन योजना, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना वेतन बचत योजना लिंकड इंश्योरेंस प्लान एवं ग्रुप सेविंग लिंक इंश्योरेंस सहित रु. 9.16 लाख की राशि को देयता में दर्शाया गया है। सीआरसी-पटना के संबिदा पर कार्यरत कर्मियों को यह हितलाभ लागू नहीं है। अतः इस विषय पर समीक्षा हेतु संस्थान कार्रवाई करें।



4.2. लेखे के अनुसार एन्टीटीस को अग्रिम रु. 3.26 करोड़ दर्शाया गया है जबकि लेजर लेखे में इस राशि को रु. 2.67 करोड़ दर्शाया गया है अतः रु. 0.59 करोड़ की विसंगति में सुधार की आवश्यकता है केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा समाप्त कार्य के एवज में लौटाये जाने वाली अग्रिम राशि रु. 3.26 करोड़ सहित रु. 22.25 लाख के रूप में दर्शाया गया है। इस राशि को एन्टीटीस को अग्रिम की जगह प्राप्त योग्य ही दर्शाया जाये।

4.3. सीआरसी श्रीनगर को 2.75 लाख रुपये की राशि अंतरण किया गया है, इस अंतरण के समर्थन में संस्थान द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4.4. वित्त वर्ष 2018-19 के रिपोर्ट में उल्लेख के उपरांत भी सामान्य लेखा प्रपत्र में निहित प्रावधानों के उल्लंघन स्वरूप संस्थान ने मूल्य के ह्रास को स्ट्रेट लाइन मेथड की जगह रीटन डाउन वेल्यू के आधार पर दर्शाया है।

ड. सहायक अनुदान

5.1. संस्थान भारत सरकार से पूर्णतः वित्त पोषित है, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान इस संस्थान ने रु. 30.99 करोड़ (मूलधन रु. 5.20 करोड़ तथा राजस्व रु. 25.79 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त की है, यहाँ यह उल्लेख किया जाता है कि संस्थान के समक्ष गत वर्ष की अव्ययित राशि रु. 10.59 करोड़ रह गई है। कुल उपलब्ध राशि रु. 41.58 करोड़ (30.99 करोड़ + 10.59 करोड़) में संस्थान ने रु. 28.44 करोड़ (रु. 0.02 करोड़ सहित मूलधन रु. 0.88 करोड़, सीआरसी त्रिपुरा की सिपडा योजना के अधीन तथा राजस्व रु. 27.56 करोड़) की राशि को व्यय किया है, फलतः रु. 13.14 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई है।

संस्थान ने भारत सरकार से निर्दिष्ट निधि में रु. 4.95 करोड़ (एडिप हेतु रु. 4.25 करोड़, सिपडा-सीआरसी त्रिपुरा हेतु रु. 0.70 करोड़) के अतिरिक्त निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत आरंभिक तलशेष के रूप में रु. 2.78 करोड़ (एडिप हेतु रु. 1.74 करोड़, सिपडा हेतु रु. 0.88 करोड़, डीएमटी हेतु रु. 0.16 करोड़) की राशि प्राप्त की है। कुल निर्दिष्ट अनुदान की राशि रु. 7.73 करोड़ में से संस्थान द्वारा रु. 3.63 करोड़ (एडिप हेतु रु. 2.31 करोड़, सिपडा हेतु रु. 1.31 करोड़, एवं डीएमटी हेतु 0.0084 करोड़) की राशि व्यय की गई, फलस्वरूप निर्दिष्ट निधि के अंतर्गत रु. 4.10 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई है।



5.2. सीआरसी पटना की अनुदान राशि -

संस्थान ने सीआरसी पटना हेतु भारत सरकार से रु. 8.42 करोड़ (मूलधन रु. 6.00 करोड़, राजस्व रु. 2.42 करोड़) की अनुदान राशि प्राप्त किया है। संस्थान ने उपरोक्त राशि में से रु. 1.33 करोड़ (मूलधन रु. 0.085 करोड़ एवं राजस्व रु. 1.24 करोड़) की राशि को खर्च किया है फलस्वरूप इस शीर्ष में रु. 7.09 करोड़ की राशि अव्ययित रह गई है।

च. निबल प्रभाव -

i. रा.ग.दि.सं. - मुख्य लेखा -

पहले के अनुच्छेद में दिये गये टिप्पणियों का निबल प्रभाव यह था कि 31 मार्च 2020 तक परिसम्पत्तियों तथा देयता दोनों का ही रु. 46.87 लाख की राशि का अधोविवरण हो गया है।

ii. सीआरसी पटना का लेखा -

पहले के अनुच्छेद में दिये गये टिप्पणियों का निबल प्रभाव यह था कि 31 मार्च 2020 तक परिसम्पत्तियों तथा देयता दोनों का ही रु. 30.29 लाख राशि का अधोविवरण हो गया है।

छ. प्रबंधन का पत्र

वे कमियां जो लेखा परीक्षा में समाविष्ट नहीं की गईं उसे संस्थान को अलग से जारी किये गये प्रबंधन पत्र के द्वारा निवारण/सुधार की कार्रवाई की दृष्टि से संस्थान के ध्यान में लाया गया है।



V. पिछले अनुच्छेद में हमारे पर्यवेक्षण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा लेखा बही के करार के अनुसार है।

VI. हमारे मतानुसार तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें उपलब्ध किये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त वितीय विवरण लेखा-नीतियों को लेखा पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाये एवं उपरोक्त में दी गई विनिर्दिष्ट विषयों तथा अन्य विषयों जो इस पृथक लेखा परीक्षा के अनुलग्नक में उल्लिखित किया गया है वह सही और स्वच्छ छवि प्रस्तुत करता है। सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखा के सिद्धांतों के सादृश्य के अनुरूप इस लेखा-परीक्षा को प्रस्तुत किया गया है।

क. यह 31 मार्च 2020 तक की राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता के तुलनपत्र तथा कार्यव्यापार से संबंधित है।

ख. यह उस दिनांक को समाप्त वर्ष की व्यय लेखा के मूल्य हनास से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा-परीक्षक की ओर से

स्थान - कोलकाता
दिनांक - 20.01.2020

ह/-
(दीपक नारायण)
महा निदेशक-लेखा परीक्षा
मध्य कोलकाता



अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली के संबंध में -

संस्थान की आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपर्याप्त है -

1. संस्थान में आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रणाली नहीं है इसके बजाये संस्थान की आंतरिक लेखा-परीक्षा का संचालन लेखा परीक्षा अभिकरण द्वारा किया जाता है।
2. संस्थान में कोई भी आंतरिक नियमावली नहीं है।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली -

निम्नलिखित तथ्य संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अपर्याप्तता को दर्शाता है -

1. नकद बही का अनुरक्षण टेली सॉफ्टवेयर में हो रहा है।
2. लेखा शीर्ष को कोडेड नहीं किया गया है।
3. नकद तथा स्टॉक कार्य का निर्वहन करने वाले कर्मों से सुरक्षा जमा / सत्यनिष्ठता की प्रत्याभुत नहीं ली गई है।

ग. परिसम्पत्तियों तथा वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन प्रणाली -

संस्थान ने वित्त वर्ष 2019-20 की नकद, स्थायी परिसम्पत्तियों, वस्तुसूची तथा पुस्तकालय की पुस्तकों का भौतिक सत्यापन का संचालन किया है।

घ. सांविधिक देयता -

संस्थान नियमित रूप से अपने सांविधिक बकायाओं का भुगतान करती है।



सत्यमेव जयते

दीपक नारायण
Deepak Narain

महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया प्रेस बिल्डिंग (इस्ट विंग), प्रथम तल
8, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता – 700001

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL, KOLKATA
GOVERNMENT OF PRESS BUILDING (EAST WING), 1ST FLOOR
8, KIRAN SANKAR ROY ROAD, KOLKATA – 700001

CONFIDENTIAL

D.O NO. OAI (AB)/AR/2019-20/NILD/184
DATE: 20.01.2021


प्रिय, डॉ. इकबाल

मैंने राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता, के वर्ष 2019-20 के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षा किया एवं पत्रांक दिनांक 20.01.2021 के रूप में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किया है। लेखा परीक्षा के दौरान निम्नानुसार अक्षमता अंकित की गई परंतु लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया। औपचारिक एवं सुधारात्मक कार्यवाही के लिए आपके ध्यान में लाया जा रहा है।

- I. जैसा कि पिछले एस.ए.आर में उल्लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012 – 13 से 2015 – 16 और 2012 – 13 से 2017 – 18 के लिए क्रमशः 'भवन' और 'पुस्तक और जर्नल' शीर्ष के तहत संपत्ति रजिस्टर में एकमुश्त राशि दर्ज की गई थी। यह एक अनियमितता का गठन करता है, क्योंकि यह खरीदी गई संपत्ति और उनकी मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है।
- II. संस्थान मार्च महीने के वेतन के विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं कर रहा था।

सधन्यवाद,

सादर


ह/-

डॉ. अमीद इकबाल, निदेशक,
राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता
बी.टी.रोड, बन- हुगली,
कोलकाता - 700090



विषय सूची

	अनुसूची	पृष्ठ संख्या से	तक
तुलन पत्र	0	01	01
आय एवं व्यय	0	02	02
कॉर्पस / पूंजी निधि	1	03	03
आरक्षित और अधिशेष	2	04	04
चिन्हित / जमा राशियाँ	3	05	05
प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	06	06
अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	07	07
आस्थगित क्रेडिट देयता	6	08	08
चालू देयता तथा प्रावधान	7	09	10
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	8	11	11
उद्दीष्ट / अक्षय निधि से निवेश	9	12	12
निवेश - अन्य	10	12	12
चालू परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम इत्यादि.	11	13	15
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	12	16	16
बिक्री तथा सेवाओं से आय	13	17	17
अनुदान / आर्थिक सहायता	14	18	18
शुल्क / अधिदान	15	19	19
निवेश से आय (उद्दीष्ट तथा अक्षय निधि से आय / चिन्हित निधि में अंतरण)	16	19	19
रॉयल्टी तथा प्रकाशन से आय	17	20	20
अर्जित ब्याज	18	21	21
अन्य आय	19	22	22
तैयार माल तथा कार्य प्रगति के स्टॉक में बढ़ोत्तरी / (घटाव)	20	22	22
स्थापना पर व्यय	21	23	23
अन्य प्रशासनिक व्यय	22	24	25
अनुदान तथा आर्थिक सहायता इत्यादि पर व्यय	23	26	26
ब्याज	24	26	26
प्राप्तियाँ तथा भुगतान	0	27	31
नकद तथा बैंक तलशेष का विवरण	0	32	32
तुलन पत्र - जीपीएफ / सीपीएफ	0	33	33
साधारण भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि में प्राप्तियाँ तथा भुगतान	0	34	34
साधारण भविष्य निधि तथा अंशदायी भविष्य निधि में प्राप्ति तथा भुगतान	0	35	35
निवेश का विस्तृत ब्यौरा	0	36	36
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25	37	37
आकस्मिक देनदारी तथा लेखा पर टिप्पणी	26	38	39



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
डी.डी.रोड, बन-हुगली, कोलकाता-90
31 मार्च 2020 का तुलन पत्र

वर्ष/संस्था / मूलधन निधि तथा देयता	सूची	2019-2020 राशि (₹.)	2018-2019 राशि (₹.)
मूलधन निधि (सौजना / गैर-सौजना) आरक्षित तथा अधिलेख	1	(149,821,197.13)	(184,291,786.29)
उद्दीष्ट / अक्षय निधि	2	-	-
प्रतिभूत ऋण एवं देयता	3	48,357,001.52	27,824,744.52
अप्रतिभूत ऋण एवं देयता	4	-	-
आस्थगित उधार देयता	5	4,618.00	10,584,109.00
बाजू देयता तथा उपबंध	6	-	-
कुल	7	728,600,804.86	690,369,285.86
		627,141,227.25	523,318,135.09
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	8	188,876,988.10	90,941,835.40
उद्दीष्ट / अक्षय निधि में निवेश	9	-	-
निवेश - अन्य	10	98,542,646.68	56,235,574.72
बाजू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अचिम इत्यादि	11	186,326,958.47	178,075,994.97
पूँजीगत कार्रवाई प्रगति पर	12	153,394,634.00	198,064,730.00
विविध अन्य		-	-
(अतिरिक्तीकरण / समासौजन का विस्तार)			
कुल		627,141,227.25	523,318,135.09
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
लेखा पर आकस्मिक देयता एवं टिप्पणी	25		

श्री सुशील कुमार मलिक
लेखाकार

श्री ज्योति सरकार
लेखा अधिकारी

श्री. एम. पी. शर्मा
निदेशक

स्थान:- कोलकाता
दिनांक:-



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी.रोड, बन-द्वगली, कोलकाता-90

- 31 मार्च-2020 तक समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा

आय	सूची	2019-2020 रुपि (₹.)	2018-19 रुपि (₹.)
विक्रय / सेवाओं से आय	13	35,378,045.30	28,778,627.00
अनुदान / अधिक सहायता	14	234,579,702.00	137,704,092.00
शुल्क / अधिदान	15	24,124,427.00	14,898,130.00
निवेश से आय (उर्ध्व / अधः निधि से आय, निधि का निधि में अंतरण)	16	-	-
सौख्यटी, प्रकाशन इत्यादि से आय	17	-	-
अर्जित व्याज	18	5,990,251.00	7,122,695.00
अन्य आय	19	-	-
तेमार मात्र के स्टॉक तथा कार्ग प्रगति में वृद्धि / कमी	20	-	-
कुल (क)		300,072,425.30	188,503,544.00
व्यय			
स्थापना पर व्यय	21	216,480,932.00	229,216,467.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	22	83,815,515.84	74,500,798.77
अनुदान अधिक सहायताओं इत्यादि पर व्यय	23	-	-
व्याज	24	-	-
अवशेषण (सूची 8 अनुसार वर्ष की समाप्ति पर कुल बिल)		23,717,155.00	13,588,740.00
कुल (ख)		324,013,602.84	317,306,005.77
(ख-क) आय पर अधिक व्यय का शेष		(23,941,177.54)	(128,802,461.77)
विशेष बचल में अंतरण (विनिर्दिष्ट)		-	-
सामान्य संवयन से / को अंतरण		-	-
शेष का अधिशेष / (घाटा) कार्पस/मूलधन निधि को अर्पणीत		(23,941,177.54)	(128,802,461.77)
महत्वपूर्ण सेवांकन नीतियाँ	25	-	-
लेखा पर आकस्मिक देयता एवं टिप्पणी	26	-	-

श्री सुनील कुमार कलिक
सेवाकार

श्री प्रदीप सरकार
सेवा अधिकारी

श्री. एल. पी. शार
निदेशक

स्थान:- कोलकाता



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी.रोड, बन-हगली, कोलकाता-90

31 मार्च 2020 तक क.मुल्य पत्र की अवसुचियां

	2019-2020 राशि (₹.)	2018-19 राशि (₹.)	2019-2020 राशि (₹.)	2018-19 राशि (₹.)
अनुपूर्वी - 2 आरक्षित एवं अधिरोप				
1. आरक्षित मूलधन:	-	-	-	-
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. आरक्षित मूलधन का पुनः मुद्रांकन				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. चिरोप आरक्षित मूलधन:				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य आरक्षित मूलधन				
अंतिम लेखा के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

श्री सुनील कुमार बल्लिह
लेखाकार

श्री इतीश सरकार
लेखा अधिकारी

श्री एस पी दास
प्रिंटर

स्थान: कोलकाता
दिनांक:-



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी. रोड, बन-द्वगली, कोलकाता-90

31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 4 प्रतिभूत ऋण तथा आदान:

	2019-2020		2018-2019	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
1. केन्द्र सरकार	-	-	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लिखित करें)	-	-	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं अ) मियादी ऋण आ) प्रोद्भुत ब्याज तथा देयता	-	-	-	-
4. बैंक अ) मियादी ऋण - प्रोद्भुत ऋण (तथा देयता) आ) अन्य ऋण (निर्दिष्ट) - प्रोद्भुत ब्याज तथा देयता	-	-	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा अधिकरण	-	-	-	-
6. ऋण-पत्र तथा बंध-पत्र	-	-	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

टिप्पणी:- एक वर्ष के दौरान देय राशि

श्री सुशील कुमार प्रमलिक
लेखाकार

श्री प्रवीण सरकार
लेखा अधिकारी

श्री एम. पी. राम
निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक:-



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
डी.टी. रोड, बन-दुगली, कोलकाता-90

31 मार्च 2020 तक के कुल पत्र की अनुपूर्विकाएँ

अनुपूर्विका - 5 अग्रतिष्ठत अथवा आयात

1. लेण्ड सरकार
2. राज्य सरकार (उल्लिखित करें)
3. विदेशी संस्थाएँ
4. बैंक:
- क) विपरीत अथवा
- ख) अति आहरण
5. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ
6. अथ पत्र एवं निवस पत्र
7. साक्षि जमा
8. अन्य :

बोडला

- निधि अंतरण-बीपीएफ
- निधि अंतरण (एनपी)
- आर एंड डी हाउसेट महाक पत्र और उपबंध (प्राप्त करने योग्य नहीं)
- निधि अंतरण - विपदा
- निधि अंतरण - धारण संयोजन
- निधि अंतरण - रोपी संयोजन
- कैर-बोडला (रोपी संयोजन)
- निधि अंतरण - बोडला
- निधि अंतरण - बोडला
- कैर-बोडला (आय संयोजन)
- निधि अंतरण - बीएसटी
- निधि अंतरण - बोडला

	2019-2020		2018-2019	
	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)	राशि (₹.)
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	4,618.00	4,618.00	4,618.00	113,354,118.00
			73,349,500.00	
			40,000,000.00	
			-	55,000,000.00
			-	68,938,227.00
कुल		4,618.00		- 10,584,109.00

श्री सुनील कुमार मलिक
लेखाकार

श्री अतीश सरकार
लेखा अधिकारी

श्री. एम. पी. दास
निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक:-



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी. रोड, बन-द्वगली, कोलकाता-90

31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 6 आस्थगित क्रेडिट देयता:	2019-2020	20198-2019
	राशि (रु.)	राशि (रु.)
अ) पूँजी उपकरण तथा अन्य परिसंपत्तियों के दृष्टि बंधक पर स्वीकृत प्राप्ति	-	-
आ) अन्य	-	-
कुल		
टिप्पणी:- एक वर्ष के दौरान देय राशि		

श्री सुशील कुमार मल्लिक
लेखाकार

श्री ब्रलीन सरकार
सेवा अधिकारी

डॉ. एम. पी. दाम
निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक:-



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी.रोड, बंग-दुर्गाबाड़ी, कोयंबाजार-90

31 मार्च 2020 तक के तुलना पत्र की अनुसूचियाँ

	2019-2020		2018-2019	
	लाभ (₹.)	लाभ (₹.)	लाभ (₹.)	लाभ (₹.)
अनुसूची-7. आय, देना, तथा प्राप्ति				
क. आय देना				
1. वीपीएच		0.00		0.00
2. निधि से प्राप्त	2,827.00			0.00
अ) अनुसूची के लिए	2,827.00			0.00
अ) अन्य	25,021.00			0.00
3. आय अतिरिक्त	0.00			0.00
4. उपार्जन अथवा अनाज	0.00			0.00
अ) उपार्जन आय / अनाज	0.00			0.00
अ) अनुसूचित आय / अनाज	0.00			0.00
5. वार्षिक देयताएँ:				
अ) अतिरिक्त				
बी. देना				
दिव्यांग	0.00			0.00
बी.टी.रोड	2,827.00			
एन.टी.रोड	2,827.00			
अ.टी.रोड	25,021.00			
बिना घर	0.00			
वास्तविक घर	0.00			
बी.टी.रोड	0.00			
बी.टी.रोड	55,136.00			
आर.टी. रोड सेक्टर	0.00			
आर.टी. रोड सेक्टर	46,370.00			
आर.टी. रोड सेक्टर	5,460.00			
आर.टी. रोड सेक्टर	190,250.00			
आर.टी. रोड सेक्टर	28,090.00			
आर.टी. रोड सेक्टर	52,417.00			
		408,368.00		
				2,047,854.00
6. अन्य आय देयताएँ:-				
बी.टी.रोड				
अना अति अतिरिक्त	3,435,305.00			
बंगला देना	8,415,046.00			
दुर्गा अना अतिरिक्त	6,292,455.86			
अना अना अतिरिक्त - अना अना	82,500.00			
अना अना (ए.टी.रोड, बि.टी.)	510,355.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	270,500.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	41,000.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	42,434.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	764,233.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	28,818.00			
अना अना अतिरिक्त - अना अना अतिरिक्त	2,492.00			
दिव्यांग	26,654.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	851,332.00			
दिव्यांग अतिरिक्त	28,145.00			
आ.प.प. के पत्र पर परिष्कार कार्य	629,647.00			
		21,420,917.86		
				19,725,164.86



राष्ट्रीय शक्तिशील दिव्यांजन संस्थान
डी.टी. रोड, बन-दुमरी, कोलकाता-90

बजट, 8 वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 तक के पूरा तथ्य की अनुसंधान

विवरण	01.04.2019 तक		31.03.2019 तक		04.01.2019 तक		31.03.20		31.03.2020 तक	
	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम	रकम
कुल-मुद्रा निवृत्त	1,330,875.00	-	1,330,875.00	-	-	-	-	-	1,330,875.00	1,330,875.00
बचत	87,893,077.98	109,054,644.00	196,947,721.08	46,971,818.20	14,113,727.00	-	61,085,545.26	135,902,175.02	40,921,258.82	32,029.05
संचयन खाते	2,407,707.83	-	2,407,707.83	3,203.00	-	-	2,378,881.78	28,826.05	-	4,001,582.84
व्याज/बचत एवं संचयन	7,868,258.22	313,293.00	8,181,551.22	3,866,875.38	430,517.00	-	4,297,192.38	3,884,358.84	-	2,825,645.32
पेंशन/ग्रान्ट एवं संचयन	10,745,571.60	344,197.00	11,089,768.60	7,919,925.68	327,639.00	-	8,247,964.68	2,842,203.92	-	10,384,008.81
व्यक्तिगत और प्रदान	25,853,194.82	1,292,256.00	27,145,450.82	15,490,286.01	1,120,580.00	-	16,618,868.01	10,526,584.81	-	989,345.38
पुस्तक एवं संचयन	30,991,321.70	387,578.00	32,000,643.16	30,469,928.78	540,771.00	-	31,010,697.78	26,620,608.91	-	2,830,107.24
संयुक्त एवं संचयन	25,569,430.91	2,797,452.00	28,440,816.15	24,603,914.91	2,016,594.00	-	26,620,608.91	83,806.86	-	965,524.00
वैयक्तिक संचयन	1,269,479.00	-	1,269,479.00	14,790.00	-	-	1,185,672.14	-	-	96,586.86
समाप्त संचयन	34,468,372.04	2,549,008.00	37,017,380.04	24,438,039.89	1,829,217.00	-	36,267,256.89	10,790,123.35	-	10,030,332.35
संचयन	1,390,765.00	-	1,390,765.00	1,003,827.82	58,941.00	-	1,061,868.82	328,896.18	-	368,937.18
व्यक्तिगत संचयन	10,279,678.80	359,268.00	10,638,944.80	3,884,773.12	986,181.00	-	4,870,954.12	5,767,890.88	-	6,394,905.68
संचयन संचयन एवं संचयन	10,831,451.76	485,341.00	11,266,775.76	8,581,370.66	374,774.00	-	9,036,144.56	2,230,631.10	-	2,170,081.30
व्यक्तिगत संचयन	28,230,449.12	1,847,608.00	29,877,735.12	22,490,286.89	1,044,197.00	-	23,534,483.69	8,343,271.43	-	5,739,962.43
व्यक्तिगत संचयन	809,981.25	-	809,981.25	245.00	-	-	808,345.17	1,290.08	-	1,635.08
व्यक्तिगत संचयन	2,006,802.72	-	2,006,802.72	1,695,417.29	46,720.00	-	1,742,137.29	264,745.43	-	311,465.43
संचयन संचयन	2,225,092.48	110,590.00	2,335,682.48	1,926,104.82	53,142.00	-	1,979,246.82	356,435.66	-	298,987.66
संचयन, संचयन एवं संचयन	1,842,378.00	9,548.00	1,851,924.00	1,308,787.02	43,975.00	-	1,402,732.82	249,191.38	-	283,620.38
संचयन	2,712,942.03	134,000.00	2,846,942.03	2,200,135.85	96,866.00	-	2,297,021.85	54,900.18	-	81,906.18
व्यक्तिगत संचयन / संचयन संचयन	10,166,727.80	812,179.00	10,678,908.60	8,406,541.89	615,956.00	-	7,022,497.89	3,656,408.71	-	3,780,185.71
कुल	298,692,544.96	134,000.00	298,826,544.96	1,685,451.70	96,866.00	-	231,467,864.56	188,876,088.10	-	90,941,835.40
निष्कर्ष (2018-19)	273,866,906.96	25,025,078.00	298,892,544.96	194,181,969.56	13,588,740.00	-	297,750,709.56	90,941,835.40	-	79,504,997.40

डी.टी. रोड, बन-दुमरी, कोलकाता-90

डी.टी. रोड, बन-दुमरी, कोलकाता-90

डी.टी. रोड, बन-दुमरी, कोलकाता-90



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान
बी.टी. रोड, बन-हुमली, कोलकाता-90

31 मार्च 2020 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची-9 उद्गीर्ण / अक्षय निधियों के निवेश	2019-2020	2018-2019
	राशि (₹.)	राशि (₹.)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र तथा बंध-पत्र	-	-
5. आर्थिक महावला तथा संयुक्त उधम	-	-
6. अन्य सावधि जमा: (एम्.ओ.डी खाता) एचिए (एम्.ओ.डी खाता) निचडा (एम्.ओ.डी खाता)	-	-
कुल	-	-

31.03.2020 तक के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 10 अन्य - निवेश	राशि (₹.)	
	2019-2020	2018-2019
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-	-
3. शेयर	-	-
4. ऋण पत्र तथा बंध-पत्र	-	-
5. आर्थिक महावला तथा संयुक्त उधम	-	-
6. अन्य - सावधि जमा (एम्.ओ.डी खाता सहित) छत्र संघ सावधि जमा (एम्.ओ.डी खाता सहित) गैर-सौजना सावधि जमा (एम्.ओ.डी खाता सहित) रोलीजन संघ सावधि जमा (एम्.ओ.डी खाता सहित) कोजना	5,423,483.00 19,199,557.00 73,919,606.68 98,542,646.68	5,423,483.00 - 19,199,557.00 31,612,534.72 56,235,574.72
कुल		

डी.मृगेश कुमार मलिक
संस्थापक

डी.प्रदीप सरदार
संस्था अधिकाारी

डॉ. एम्.पी.राम
निदेशक

स्थान: कोलकाता
दिनांक:-



राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान बी.टी.रोड, बन-दुगली, कोलकाता-90

31 मार्च 2020 तक के कुलन पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची - 1.1. बर्तमान परिवर्तनों, अथवा, अधिकतम इकायें

अ. बर्तमान परिवर्तन

1. विद्यार्थी (वर्ग)-

- क) अंतर एवं अतिरिक्त
- ख) नया कुल
- ग) स्थान-सं-32

- अंतर बाध
- कार्य प्रगति पर
- नए कार्य

2. शिक्षित विद्यार्थी :-

- क) सीपूट का बाहरी अवरुद्ध का अभाव काय
- ख) अंतर

3. छात्र से लेब तक (पेच/दस्तावेज/अंतर एवं गैरकी अतिरिक्त)

- क) शैक्षणिक
- ख) शैक्षणिक कार्य प्रगति
- ग) शैक्षणिक प्रगति का अभाव
- घ) अतिरिक्त

4. लेब से अंतर अतिरिक्त :-

- क) अनुसूचित वर्गों से :-
 - बाध बाध से
 - अंतर बाध से (अंतर की शक्ति अतिरिक्त)
 - लेब बाध से
- ख) शैक्षणिक
 - क) शैक्षणिक कार्य प्रगति
 - ख) शैक्षणिक प्रगति का अभाव
 - ग) अतिरिक्त
- ग) अंतर / शैक्षणिक

5. अंतर एवं बाध से

- बाध बाध से
- अंतर बाध से
- लेब बाध से

	2019-2020		2018-2019	
	आगत (₹.)	आगत (₹.)	आगत (₹.)	आगत (₹.)
3,472.82	-	-	980.82	-
1,685.00	-	-	1,685.00	-
160.14	-	-	21,553.14	-
150.00	-	-	-	-
1,700.00	-	7,187.96	7,390.00	31,608.96
711,451.75	711,451.75	-	530,125.75	-
-	-	-	-	-
32,120,490.27	32,120,490.27	40,624,963.53	40,624,963.53	40,624,963.53
37,627,458.18	37,627,458.18	32,524,408.18	32,524,408.18	32,524,408.18
16,634,629.48	16,634,629.48	8,868,390.07	8,868,390.07	8,868,390.07
46,525,737.52	46,525,737.52	30,441,634.52	30,441,634.52	30,441,634.52
573,363.37	573,363.37	134,593,330.57	561,295.17	113,550,417.22
		134,600,498.53	-	113,552,026.18

डी.प्रदीप कुमार
अध्यक्ष

अध्यक्ष, कोलकाता

डी.प्रदीप कुमार
अध्यक्ष

डी.प्रदीप कुमार
अध्यक्ष

